न्यायालय द्वितीय अपर जिला न्यायाधीश, गोहद जिला भिण्ड(म.प्र.) (समक्ष:-मोहम्मद अज़हर)

विविध व्यवहार अपील क.36 / 16 संस्थित दिनांक—22.12.2016

नोबल उ0मा0वि0 तहसील गोहद जिला भिण्ड द्वारा प्राचार्य बृजेन्द्र सिंह तोमर आयु 45 साल पुत्र बदन सिंह तोमर निवासी ग्राम तेहरा तहसील गोहद जिला भिण्ड म0प्र0

......अ<u>पीलार्थी</u>

विरुद्ध

- म0प्र0 राज्य सरकार द्वारा कलैक्टर, जिला भिण्ड म0प्र0,
- 2. अनुविभागीय अधिकार राजस्व गोहद जिला भिण्ड म०प्र०.
- 3. तहसीलदार परगना गोहद वृत्त एण्डोरी जिला भिण्ड प्रत्यर्थीगण

(**आ दे श)** (आज दिनांक 13 / 04 / 2017 को पारित)

- 1— यह विविध सिविल अपील आदेश 43 नियम 01 व्यवहार प्रक्रिया संहिता के तहत न्यायालय व्यवाहर न्यायाधीश वर्ग दो, गोहद, जिला भिण्ड (श्री गोपेश गर्ग) के मूल व्यवहार वाद कमांक 102ए/2016 में पारित आदेश दिनांक 21/12/16 से व्यथित होकर प्रस्तुत की गई है, जिसके द्वारा वादी/अपीलार्थी का आवेदन अंतर्गत आदेश 39 नियम 01 व 02 सहपठित धारा—151 व्यवहार प्रक्रिया संहिता निरस्त कर दिया गया है।
- विचारण / अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष वादी / अपीलार्थी के यह अभिवचन रहे हैं, कि भूमि खसरा क्रमांक 60 रकवा 0.26 हेक्टे0 वादी के स्वत्व की भूमि है, तथा खसरा क्रमांक 61 रकवा 01 बीघा ग्राम आबादी में रठा की भूमि है, जिस पर भवन की स्थापना हेत् वादी ने विधिवत डयवर्सन कराया तथा ग्राम पंचायत से अनुशंसा के साथ प्रतिवादी कमांक 02 व 03 से ग्राम पंचायत के माध्यम से अनुमति प्राप्त की गई तथा 16 वर्ष पूर्व विद्यालय भवन का निर्माण किया गया। उक्त विद्यालय भवन ही प्रकरण में विवादित है। उक्त विद्यालय की बाउंड्री प्रतिवादी कमांक 02 व 03 को सूचना उपरांत ग्राम पंचायत की अनुशंसा पर निर्मित की गई। वादी ने कोई अतिक्रमण नहीं किया है। अतिक्रमण में वर्णित जगह ग्राम आबादी के अंदर की रठा भूमि है, जो ग्राम वासीयों के उपयोग की भूमि है। प्रतिवादी क्रमांक 02 के द्वारा पुलिया बनाने का आदेश देने पर पुलिया का निर्माण किया गया। प्रतिवादी कमांक 03 ने प्रकरण कमांक / 2000-2001 में दिनांक 03 / 11 / 2000 को विज्ञप्ति जारी की गई, कि वादी द्वारा ग्राम तेहरा के सर्वे क्रमांक 61 रकवा 0.54 हेक्टे0 में से एक बीघा पर विद्यालय भवन बनाने की अनुमति बाबत विज्ञप्ति प्रसारित की गई थी, तत्पश्चात विद्यालय भवन का निर्माण हुआ। प्रतिवादी क्रमांक 02 की जानकारी में विद्यालय भवन का निर्माण होने के बावजूद भी प्रतिवादी क्रमांक 02 द्वारा दिनांक को प्रकरण क्रमांक 2450 / रीडर / अ.वि.अ. / 2016 01/2008-2009 अ 68 से नोटिस दिया गया, कि अतिक्रमण न हटाने की दशा में सिविल जेल की कार्यवाही की जावेगी। मध्यप्रदेश भू-राजस्व संहिता में हुए संशोधन

के उपरांत धारा—162 के अनुसार शासकीय भूमि के अनाधिकृत कब्जे को चिन्हित व अधिसूचित कर सरकारी पट्टेदारों को आवंटित किया जाना, अनाधिकृत कब्जेधारी द्वारा भी भूमि का प्रीमियम व भाटक चुकाए जाने पर प्रतिवादी क्रमांक 01 द्वारा कब्जाधारी के हक में व्ययन की जाकर धारा—248 की समस्त राजस्व कार्यवाहियां समाप्त कर दी हैं। इस कारण वादी के विरुद्ध अतिक्रमण की कार्यवाही व सिविल जेल की कार्यवाही विधिक रूप से नहीं की जा सकती है। अतिक्रमण का प्रकरण दिनांक 27/05/08 को पंजीबद्ध किया गया, परंतु उस समय वादी को कोई सूचना नहीं दी गई और बिना सूचना के कार्यवाही की गई है। प्रतिवादी क्रमांक 01 ने दिनांक 26/11/16 को नोटिस दिया और दिनांक 01/12/16 को वादी प्रतिवादी क्रमांक 02 के समक्ष उपस्थित हुआ, तब जबाब हेतु समुचित अवसर न देकर मात्र एक दिन का समय देकर पेशी दिनांक 02/12/16 को नियत कर दी। विचारण/अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष आवेदन अंतर्गत 39 नियम 01 व 02 जा0दी0 का प्रस्तुत करते हुए, इस आशय की अस्थाई निषधाज्ञा की प्रार्थना की गई कि, प्रतिवादीगण विवादित विद्यालय भवन को अतिक्रमण में मानकर उसे हटाने एवं सिविल जेल की कार्यवाही न करें।

- 3— विचारण न्यायालय के समक्ष प्रतिवादी क्रमांक 01 मध्यप्रदेश शासन को विधिवत तामील होने के पश्चात, वह इस प्रकरण की कार्यवाही में अनुपस्थित रहा, उसके विरुद्ध एक पक्षीय सुनवाई का आदेश किया गया।
- प्रतिवादी क्रमांक 02 व 03 अर्थात अनुविभागीय अधिकारी एवं तहसीलदार की ओर से प्रतिवादपत्र प्रस्तुत करते हुए वादी के अभिवचनों का सामान्य और विर्निदिष्ट रूप से प्रत्यख्यान किया गया तथा यह अभिवचन किया गया कि वादी ने इस संबंध स्पष्ट अभिवचन नहीं किया है कि सर्वे क्रमांक 60 का कौन भूमिस्वामी है। सर्वे क्रमांक 61 शासन के स्वामित्व की भूमि है, उक्त सर्वे क्रमांक 61 के सबंध में वादी ने कभी कोई डायवर्सन नहीं करया है। चूंकि उक्त भूमि ग्राम आबादी की नहीं है, इसलिए ग्राम पंचायत को किसी भी प्रकार से कोई अधिकार भूमि के संबंध में नहीं है। प्रतिवादी कमांक 02 व 03 के द्वारा किसी भी प्रकार की कोई अनुमति नहीं दी गई है। वादी ने गलत मानचित्र पेश किया है। वादी के द्वारा जो डायवर्सन का दस्तावेज सर्वे क्रमांक 60 के संबंध में प्रस्तुत किया है, उसमें 16 वर्ष पूरानी कोई भी तारीख अंकित नहीं है। वादी/अपीलार्थी बुजेन्द्र सिंह के विरुद्ध अतिक्रमण हटाए जाने की कार्यवाही दिनांक 27/05/08 से विचाराधीन है, जिससे बचने के लिए गलत दावा प्रस्तुत किया गया है। पटवारी के द्वारा स्थल निरीक्षण के पश्चात रिपोर्ट दी गई है, जिसमें वादी को अतिकामक बताया गया है, ग्राम पंचायत के द्वारा भूमि कि नोईयत परिवर्तन के संबंध में अनुमित नहीं दी जा सकती है। वादी के द्वारा अतिक्रमण की कार्यवाही का नोटिस लेने से इन्कार किया गया था। उक्त प्रकरण कमांक 102/2007-2008 अ 68 में दिनांक 02/06/28 को वादी को भूमि से बेदखल किए जाने का आदेश पारित कर 1,500 / – रूपए अर्थदण्ड से दण्डित किया गया है, जिसकी अपील वादी के द्वारा तत्कालीन एस.डी.ओ. राजस्व के समक्ष की गई जो प्रकरण कमांक 43/2007—2008 पर दर्ज हुई, जो दिनांक 13/06/08 को निरस्त हुई और नायब तहसीलदार के आदेश की पुष्टि की गई। जिसके विरुद्ध किसी राजस्व न्यायालय में वादी द्वारा अपील नहीं की गई। इस कारण नायब तहसीलदार का उक्त आदेश दिनांक 02/06/08 वादी पर बंधनकारी है। वादी को पूर्व में भी अतिक्रमण हटाने के संबंध में दिनांक 03/06/13 को नोटिस जारी किया गया, जिसमें दिनांक 12 / 06 / 13 को वादी के द्वारा अधिवक्ता सहित उपस्थित होकर जबाबदेही की गई। वादी के द्वारा दिनांक 27/05/08 के पालन में जारी तामील लेने से इन्कार किया गया था, इसलिए वादी के विरूद्ध दिनांक 02/06/2008 को एकपक्षीय सुनवाई का आदेश पारित किया गया। वादी को सुनवाई का पर्याप्त अवसर प्राप्त हो चुका है। वादी को कोई वादकारण उत्पन्न नहीं

हुआ है, वादी का वाद धारा—257 म0प्र0भू०रा०सं० के तहत सिविल न्यायालय में वर्जित है, उक्त आधार पर वाद निरस्त किए जाने की प्रार्थना की गई है। प्रतिवादी क्रमांक 02 व 03 की ओर से वादी के आवेदन अंतर्गत आदेश 39 नियम 01 व 02 सहपठित धारा—151 जा०दी० का लिखित उत्तर प्रस्तुत करते हुए आवेदन निरस्त किए जाने की प्रार्थना की गई।

- 5— विचारण / अधीनस्थ न्यायालय द्वारा यह मान्य किया गया कि ग्राम पंचायत द्वारा सर्वे कमांक 61 पर मात्र प्रस्ताव किया गया है, जो पूरा नहीं हुआ है, विज्ञप्ति उपरांत अंतिम आदेश पारित नहीं किया गया है तथा वादी का उक्त सर्वे कमांक 61 पर आधिपत्य वैध आधिपत्य की श्रेणी में नहीं आता है। जो कार्यवाही धारा—248 म0प्र0भू०रा०सं० के तहत लंबित है, वह विधि अनुसार है, यह मान्य करते हुए तथा वादी का प्रथम दृष्ट्या मामला प्रमाणित नहीं मान्य करते हुए एवं सुविधा का संतुलन और अपूर्तिनीय क्षति के बिन्दु वादी के पक्ष में नहीं होना मान्य करते हुए, आलोच्य आदेश दिनांक 21/12/16 के द्वारा उक्त अस्थाई निषेधाज्ञा के आवेदन को निरस्त कर दिया गया, उक्त आदेश के विरू० यह विविधि सिविल अपील प्रस्तुत की गई है।
- 6— अपीलार्थी की ओर से अपील में प्रमुख आधार यह लिए गए है, कि उसके द्वारा अतिक्रमण नहीं किया गया है, अपितु ग्राम पंचायत के ठहराव के अनुसार, अनुमित लेने हेतु आवेदनपत्र प्रस्तुत किया गया तथा अंत में विज्ञप्ति जारी की गई, तत्पश्चात स्वयं की जगह में विद्यालय भवन बनाया गया है, जो 16 वर्ष से संचालित है। वादी की ओर से प्रस्तुत शपथपत्रों पर कोई विचार नहीं किया गया है, 16 वर्षों से कोई कार्यवाही नहीं की गई है। इन तथ्यों पर विचारण / अधीनस्थ न्यायालय के द्वारा कोई ध्यान नहीं दिया गया है। उक्त आधारों पर आलोच्य आदेश को अपास्त करते हुए वादी के आवेदन अंतर्गत आदेश 39 नियम 01 व 02 सहपठित धारा—151 जा0दी0 स्वीकार करते हुए, वादी के विवादित विद्यालय भवन को अतिक्रमण मानकर उसे नहीं हटाने और सिविल जेल की कार्यवाही न किए जाने की सहायता की प्रार्थना की गई है।
- 7— प्रत्यर्थी / अपीलार्थी गण की ओर से मौखिक रूप से तर्क करते हुए, व्यक्त किया गया है, कि वादी / अपीलार्थी के द्वारा शासकीय भूमि पर अतिक्रमण कर विद्यालय का निर्माण किया गया है, उसके विरुद्ध विधि अनुसार कार्यवाही की जा रही है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा उचित रूप से आदेश पारित किया गया है। उक्त आधारों पर अपील निरस्त करते हुए आलोच्य आदेश दिनांक 21 / 12 / 16 की पुष्टि किए जाने की प्रार्थना की गई है।
- 8— उभय पक्ष के विद्धान अभिभाषक की बहस एवं अधीनस्थ न्यायालय के अभिलेख के परिशीलन से इस विविध अपील के निराकरण के लिये विचारणीय प्रश्न निम्न प्रकार से है :-

क्या अधीनस्थ न्यायालय द्वारा उक्त मूल व्यवहार वाद क्रमांक 102ए / 16 में पारित आदेश दिनांक 21 / 12 / 16 में हस्तक्षेप किये जाने का कोई आधार है ?

—:: <u>सकारण निष्कर्ष</u> ::—

9— इस विविधि सिविल अपील में दौराने अपील अपीलार्थी / वादी की ओर से आवेदन अंतर्गत आदेश 06 नियम 17 एवं धारा—151 जा0दी0 प्रस्तुत किया गया है, जिसका जबाब प्रत्यर्थी की ओर से प्रस्तुत किया गया है, सर्वप्रथम इस आवेदन का निराकरण किया जाना न्यायोचित है।

- 10— आवेदन अंतर्गत आदेश 06 नियम 17 एवं धारा—151 जा0दी० पर उभयपक्ष के तर्क सुने गए। अपीलार्थी / वादी की ओर से व्यक्त किया गया है, कि आलोच्य आदेश दिनांक 21/12/16 के विरुद्ध दिनांक 22/12/16 को अपील प्रस्तुत की गई थी, दिनांक 23/12/16 से शीतकालीन अवकाश थे तथा पेशी दिनांक 03/01/17 नियत की गई थी और प्रत्यर्थीगण को तामील जारी किए जाने का आदेश किया गया था और तामील भी हो चुकी थी। परंतु अपील की सुनवाई न हो सके इसलिए दिनांक 01/01/2017 रविवार के दिन तथा शीतकालीन अवकाश होने के कारण जान बूझकर अपीलार्थी / वादी का विद्यालय भवन प्रत्यर्थीगण के द्वारा तोड़ दिया गया। जिसके संबंध में अपील में संशोधन समाहित किए जाने की प्रार्थना की गई। प्रत्यर्थी की ओर से लिखित उत्तर प्रस्तुत करते हुए, व्यक्त किया गया है, कि अपील मेमो में किसी भी प्रकार का कोई संशोधन प्रावधानित नहीं है। अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष, वादी संशोधन कराने के लिए पूर्ण रूप से स्वतंत्र है और इस संबंध में विचारण / अधीनस्थ न्यायालय के द्वारा संशोधन किए जाने का आदेश भी किया जा चुका है, आवेदन निरस्त किए जाने की प्रार्थना की गई है।
- उभयपक्ष को सुने जाने एवं प्रकरण तथा विचारण / अधीनस्थ न्यायालय के मूल व्यवहार वाद का अध्ययन करने से स्पष्ट है, कि दिनांक 27/01/17 को वादी / अपीलार्थी का आवेदन अंतर्गत आदेश ०६ नियम १७ जा०दी० स्वीकार किया गया है, जिसके पालन में दिनांक 03/02/17 को उक्त आशय के संशोधन और अभिवचन वादपत्र में समाहित किए गए है। अतः ऐसी स्थिति में जहां, कि इस विविध सिविल अपील में आदेश 39 नियम 01 व 02 सहपठित धारा–151 जा0दि0 के आवेदन पर किए गए आलोच्य आदेश दिनांक 21/12/16 की वैधता के संबंध में विचार किया जाना है, तब इस विविध सिविल अपील में उक्त संशोधन समाहित किए जाने का कोई औचित्य नहीं है, क्योंकि अक्षरशः उक्त संशोधन मूल व्यवहार वाद में समाहित किया जा चुका है। उक्त अभिवचन में अपीलार्थी / वादी के द्वारा विद्यालय भवन को तोडे जाने का अभिवचन किया है तथा क्षति का आंकलन कराया जाकर प्रतिवादी / प्रत्यर्थी से क्षतिपूर्ति दिलाए जाने की प्रार्थना की गई है। इन अभिवचनों से वादी / अपीलार्थी को इस विविध सिविल अपील में कोई लाभ प्राप्त नहीं होता है, क्योंकि इस विविध सिविल अपील में वादी के मामले का अंतिम निराकरण नहीं किया जाना है, अपितू केवल आलोच्य आदेश के संबंध में विचार किया जाना है। अतः आवेदन अंतर्गत आदेश 06 नियम 17 सहपठित धारा—151 जा0दी0 निरर्थक होने से निरस्त किया जाता है।
- 12— अपीलार्थी / वादी के द्वारा अपनी अपील में प्रमुख सहायता यह चाही है, कि विवादित विद्यालय भवन को अतिक्रमण मानकर उसे नहीं हटाए जाने तथा सिविल जेल की कार्यवाही नहीं किए जाने की प्रार्थना की गई है। परंतु उभयपक्ष के द्वारा ही यह व्यक्त किया गया है, कि विवादित विद्यालय भवन को तोड़ा जा चुका है। अतः ऐसी स्थिति में नहीं हटाए जाने संबंध सहायता निरर्थक हो जाती है, क्योंकि इस संबंध में मूल व्यवहार वाद में संशोधन कर अभिवचन किया गया है, तद्नुसार मूल व्यवहार का गुणदोषों के आधार पर निराकरण हो सकेगा। उक्त क्षतिपूर्ति की राशि की सहायता अंतिम प्रकृति की है।
- 13— जहां तक कि सिविल जेल की कार्यवाही नहीं किए जाने का संबंध है, वादी की ओर से मूल व्यवाहार वाद में जो दस्तावेज पेश किए गए है, उसमें अनुविभागीय अधिकारी के द्वारा अतिक्रमण न हटाने पर सिविल जेल की कार्यवाही किए जाने के लिए लिखा गया है। अपीलार्थी की ओर से प्रस्तुत प्रस्ताव क्रमांक 51 केवल प्रस्ताव है, उसकी कोई स्वीकृति होकर वह अमल में नहीं लाया जा सका है। दिनांक 04/11/08 के अनुविभागीय अधिकारी के आदेश की फोटोप्रति से स्पष्ट है, कि अनुविभागीय अधिकारी ने अतिक्रमण मानते हुए अतिक्रमण हटाए जाने की

कार्यवाही का आदेश किया है।

- 14— अपीलार्थी की ओर से प्रस्तुत अनुविभागीय अधिकारी का विद्यालय के संबंध में निरीक्षण रिपोर्ट की फोटोप्रति प्रस्तुत की गई है, जिसमें दिनांक 03/03/07 एवं 27/06/11 को विद्यालय का निरीक्षण करने का उल्लेख है, जिसमें मान्यता प्रदाय करने की अनुशंसा की गई है तथा संस्था का विधिवत् संचालन करना लिखा गया है। अपीलार्थी/वादी की ओर से तहसीलदार को प्रस्तुत किए गए ग्रामवासियों के आवेदन, नायब तहसीलदार की विज्ञप्ति दिनांक 03/11/2000 अनुविभागीय अधिकारी गोहद को वादी/अपीलार्थी बृजेन्द्र सिंह तोमर के लिखे गए पत्र एवं सर्वे कमांक 60 के अधीक्षक भू—अभिलेख के प्रतिवेदन, खसरा एवं तहसीलदार को किए गए नामांतरण के आवेदन की फोटोकॉपियां, अनुविभागीय अधिकारी की आवेशपत्रिका दिनांक 13/12/16 एवं 12/01/17, आवेदन अंतर्गत धारा—52 एवं 48 भूरा.सं., आवेदन अंतर्गत धारा—05 लिमिटेशन एक्ट, अपील मेमो की प्रमाणित प्रतिलिपियां पेश की गई है।
- 15— खसरे का अध्ययन करने से स्पष्ट है, कि उसमें सर्वे क्रमांक 61 का कोई उल्लेख नहीं है, बिल्क सर्वे क्रमांक 60 को वादी/अपीलार्थी के पिता बदनसिंह एवं उनके भाई होमसिंह के स्वत्व की होना बताया गया है। परंतु इस मामले में प्रमुख विवाद सर्वे क्रमांक 61 के संबंध में है।
- सर्वे क्रमांक 61 के संबंध में अपीलार्थी / वादी की ओर से श्रीमती गुड़डी, श्रीमती पुष्पा, अंतरसिंह, श्रीमती मालती देवी एवं रामेश्वर सिंह के शपथपत्र पेश किए गए है, जिसमें यह बताया गया है, कि खसरा क्रमांक 61 पर विद्यालय भवन की स्थापना हेत् विधिवत डायवर्सन कराया तथा ग्राम पंचायत की अनुशंसा के साथ प्रतिवादी क्रमांक 02 व 03 से अनुमति लेने बाबत ठहराव ग्राम पंचायत फतेहपुर द्वारा किया गया, जिसकी प्रति प्रतिवादी क्रमांक 02 व 03 को दी गई है, तत्पश्चात आज से 16 वर्ष पूर्व विद्यालय भवन का निर्माण जनसहयोग से किया गया, भवन अतिक्रमण कर नहीं बनाया गया है। परंतु उक्त शपथपत्र स्वयं में विश्वसनीय नहीं है क्योंकि ग्राम पंचायत द्वारा केवल प्रस्ताव किया गया है, उसकी विधिवत स्वीकृति नहीं हुई है और न ही नामांतरण संबंधी आवेदन स्वीकार हुआ है। वादी / अपीलार्थी तथा प्रतिवादी द्वारा राजस्व न्यायालय में चले प्रकरणों के आदेशों तथा आवेदनों की प्रतियां पेश की गई है, जिसके अनुसार नायब तहसीलदार वृत्त एण्डोरी ने आदेश दिनांक 02 / 06 / 08 पारित कर धारा—248 म0प्र0भू०रा०संठ के तहत कार्यवाही की है। जिसकी अपील अनुविभागीय अधिकारी को किए जाने पर दिनांक 13 / 06 / 08 को उक्त अपील निरस्त की गई है, जिससे कि प्रकट है, कि नायब तहसीलदार का उक्त आदेश दिनांक 02 / 06 / 08 अंतिम हो चुका है। **अनुविभागीय अधिकारी के उक्त** आदेश के विरुद्ध अपीलार्थी / वादी नि वरिष्ठ राजस्व न्यायालय में कोई कार्यवाही की हो, ऐसा अभिलेख से प्रकट नहीं है, इस मामले में प्रकट है कि म0प्र0 शासन तथा प्राईवेट व्यक्ति संस्था के मध्य भूमि को लेकर विवाद है। अपीलार्थी / वादी के द्वारा सर्वे कुमाक 61 के संबंध में स्वत्व के कोई दस्तावेज पेश नहीं किए है, राजस्व का कोई आदेश प्रस्तुत नहीं किया है, कि जिससे भूमि वादी को प्रदान कर दी गई हो। अतः ऐसी स्थिति में जहां कि अनुविभागीय अधिकारी के आदेश को वरिष्ठ न्यायालय में कोई चुनौती नहीं दी गई है, तब ऐसी स्थिति में इस न्यायालय द्वारा राजस्व न्यायालय की उक्त कार्यवाही में हस्तक्षेप किया जाना न्यायोचित प्रतीत नहीं होता है।
- 17— अपीलार्थी की ओर से धारा—248 (4) म०प्र०भू०रा०सं० के इस प्रावधान पर ध्यान आकर्षित कराया गया है, कि उपधारा—01 के अधीन कोई भी आदेश किसी भी व्यक्ति को सिविल न्यायालय में अपने अधिकार स्थापित करने से नहीं रोकेगा।

परंतु ऐसा प्रतीत होता है, कि अपीलार्थी की ओर से इस ओर ध्यान ही नहीं दिया गया, कि यह प्रावधान पुरानी धारा—248 का है। धारा—248 के स्थान पर 1968 में नवीन धारा स्थापित की गई है, उसके बाद नवीन धारा प्रभावशील है। उसके पश्चात 1975 वर्ष 2000 एवं 2003 में इस धारा में संशोधन किए गए हैं। धारा–248 (2–क) में सिविल जेल की कार्यवाही का भी प्रावधान है। सिविल वाद केवल उस स्थिति में हो सकता है, जबकि हक का प्रश्न अर्थात स्वत्व का प्रश्न उत्पन्न हो। हक का प्रश्न उपस्थित होने पर व्यथित व्यक्ति का सिविल न्यायालय में वाद संस्थित करने का अधिकार वर्जित नहीं है। इस संबंध में व्यक्ति हक का प्रश्न उत्पन्न होने पर सिविल वाद फाइल कर सकता है। परंतु जहां तक कि धारा–248 की कार्यवाही का प्रश्न है म०प्र० अधिनिमय क्रमांक 07 सन् २००० प्रवर्तित होने के पूर्व सिविल वाद वर्जित नहीं था, धारा–248 (3) के तहत सिविल वाद प्रस्तुत किया जा सकता था, परंतु धारा–248 की उपधारा–3 के विलोपन के पश्चात धारा–248 के अधीन पारित आदेश के विरूद्ध सिविल न्यायालय सिविल वाद ग्रहण नहीं कर सकता है। न्याय दृ0 मानसिक चिकित्सालय, ग्वालियर (निदेशक) बनाम म0प्र0 राज्य 2007 राजस्व निर्णय 95 (म0प्र0 उच्च न्यायालय) में यही अभिनिर्धारित किया है। धारा–257 म०प्र०भृ०रा०सं० के प्रावधान के तहत भी अप्राधिकृत रूप से भूमि का कब्जा लेने के लिए धारा-248 के अधीन शास्ति के संबंध में किसी विनिश्चय के विषय के संबंध में कोई सिविल न्यायालय अधिकारिता का प्रयोग नहीं करेगा।

- 18— अतः ऐसी स्थिति में अपीलार्थी / वादी का प्रथम दृष्टया मामला प्रकट नहीं होता है, सुविधा का संतुलन तथा अपूर्तिनीय क्षिति को बिन्दु भी अपीलार्थी / वादी के पक्ष में होना प्रकट नहीं होते है। विचारण / अधीनस्थ न्यायालय ने यह मान्य किए जाने में कोई विधिक त्रुटि कारित नहीं की है, कि वादी के विरुद्ध धारा—248 म0प्र0भू०रा०सं० के तहत जो कार्यवाही की जा रही है, वह विधि अनुसार की जा रही है।
- 19— विचारण / अधीनस्थ न्यायालय के द्वारा वादी / अपीलार्थी का प्रथम दृष्टया मामला न मानने तथा सुविधा का संतुलन एवं अपूर्तिनीय क्षिति के बिन्दु वादी / अपीलार्थी के पक्ष में न होना प्रमाणित मानते हुए कोई वैधानिक त्रुटि कारित नहीं की है।
- 20— इस प्रकार विचारण/अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलार्थी/वादी के अस्थाई निषेधाज्ञा के आवेदन अंतर्गत आदेश 39 नियम 1 व 2 सहपिठत धारा 151 जा०दी० को निरस्त करने में कोई वैधानिक त्रुटि नहीं की है। इस कारण उक्त आलोच्य आदेश दिनांक 21/12/16 हस्तक्षेप किये जाने योग्य नहीं है। अतः अपील स्वीकार योग्य न होने से निरस्त की गई। विचारण/अधीनस्थ न्यायालय का आलोच्य आदेश दिनांक 21/12/16 की पुष्टि की गई।

21— आदेश की प्रति अधीनस्थ न्यायालय की ओर मूल अभिलेख सहित भेजी जावे।

आदेश न्यायालय में दिनांकित हस्ताक्षरित एवं पारित किया गया।

मेरे बोलने पर टंकित किया गया।

(मोहम्मद अज़हर) द्वितीय अपर जिला न्यायाधीश गोहद जिला भिण्ड म0प्र0 (मोहम्मद अज़हर) द्वितीय अपर जिला न्यायाधीश गोहद जिला भिण्ड म0प्र0